

जाना देवी / सुषार ~~की~~ देवी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
4 3/18	<p>पत्रावली देवा हुई / ससिस्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपील के साथ संलग्न स्वगत प्रार्थना - पत्र पर अग्रिमार्थ (अपी० को सुनवाई सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध देवा की गई है, जो कि दिनांक 04.01.18 को ही पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश को स्थगित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि अपनी उपस्थिति अचीनस्थ - न्यायालय को दें। नहत अदालत को भी आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनकर 2 माह में उचित आदेश पारित करे। अपील अपीलार्थ स्वार्थ की जाती है पत्रावली फंसल बुझाए लेवा, नभर से कम की जाकर बाद तत्काल जाहता दारिद्र्य दूरता की जाये।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर